राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या – 52/24 प्रा.पत्र

1. श्रीमती कृष्णा कँवर w/o विजय बहादुर राजपूत निवासी– J-470 आजादनगर भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती लाड w/o श्री मनीष तोतला निवासी तोतला सदन F-41 आर.के. कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा (नगर) (सम्बंधित ग्रा.पं. जवरासिंग)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 21.5.24

::आदेश::

... की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ... समेलिया........पटवार हल्का बोड़ास..........तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 ....431..................कुल किता 01...........रकबा 1.4038.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि ... के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता ... है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

... प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 03.05.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की ... से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं ... काश्त कब्जे की होने से पत्थरगढी कराने का ... अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए ... की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

... प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम समेलिया पटवार हल्का बोड़ास........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं..........431.............................. कुल किता..................01...............रकबा.........1.4038 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हे तु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक धीयास को 700......रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे ... स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील ... पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:55:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल